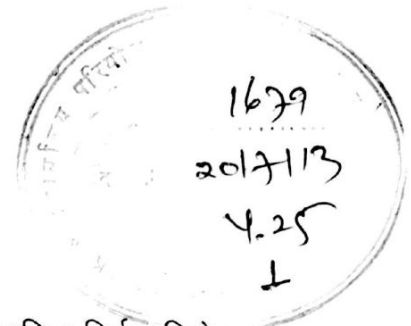


पत्र सं०- 689 / AP-5 /

दिनांक- 2/7/13

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
निर्माण इकाई-3
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
आफिस कॉम्पलेक्स, चतुर्थ तल, वृन्दावन योजना
लखनऊ।



विषय: वृन्दावन योजना सं०-2 लखनऊ के सेक्टर-12 में आरावली इनक्लेव के मानचित्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि वृन्दावन योजना सं०-2 लखनऊ के सेक्टर-12 में आरावली इनक्लेव के मानचित्र तैयार किये जाने हेतु मैसर्स सिविल कन्सलटेन्ट के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया था। कन्सलटेन्ट द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों के आधार पर परीक्षणोंपरान्त मुख्य वास्तुविद नियोजक की संस्तुति के आधार पर आवास आशुक्त महोदय द्वारा दिनांक-26-6-2013 द्वारा मानचित्रों को निम्न शर्तों से अनुमोदित किया गया है। जिसे संबंधित खण्ड व कन्सलटेन्ट के माध्यम से निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है।

1. कय योग्य एफ.ए.आर. हेतु वॉछित धनराशि को परिषद खाते में जमा करना व धनराशि को भवनों के प्राक्ल्लन में समायोजित किया जाना होगा।
2. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए एक सेट पर अग्निशमन की शर्तें अंकित कराते हुए इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. आरावली इनक्लेव हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। मानचित्र इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जा सकता है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तीन माह के अन्दर संबंधित खण्ड द्वारा जमा किया जायेगा।
4. आरावली इनक्लेव हेतु भारतीय विमान पत्तनम् का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है, अतः यह प्रस्तावित है कि निर्माण कार्य भारतीय विमान पतनम विभाग-क अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद प्रारम्भ किया जायेगा।
5. निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर वास्तुविद के साथ स्ट्रक्चरल डिजाईन तैयार कराने वाले इंजीनियर का पूरा नाम तथा मोहर युक्त हस्ताक्षर व भूकम्प रोधी होने का प्रमाण

अम / अम
38

02/7/13
pm

पत्र उपविधि के अध्याय-11 के संलग्नक-4 में उल्लिखित प्रारूप में अंकित कर -5 सेट इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

6. उपविधि के संलग्नक बिलडिंग इन्फार्मेशन शडयूल में उल्लिखित विवरण तालिका के रूप में मानचित्र पर अंकित होना आवश्यक हैं जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर से प्रमाणित करते हुए मानचित्र स्वीकृति से पूर्व उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. मानचित्र के अनुसार स्ट्रक्चरल डिजाईन के कैलकुलेशन के -5 प्रमाणित सेट प्रस्तुत करना होगा। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के विभागध्यक्ष से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए प्रेषित की जानी होगी।

उक्त अनुमोदन के कम में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु मानचित्र की दो प्रतियाँ आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(संजीव कश्यप)
वास्तुविद नियोजक
दिनांक:

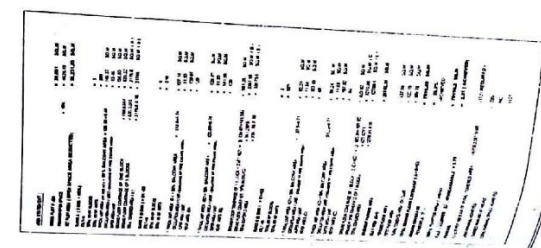
पत्रांक

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
2. मैसर्स सिविल कन्सलटेन्ट, 003 गौरी अपार्टमेन्ट-57 हिल्टेन लेन, मीराबाई मार्ग, लखनऊ।

वास्तुविद नियोजक

CIVIL COORDINATOR
ARCHITECTURAL DESIGN
INTERIOR DESIGN
103 GAURIA PARK T3
57 HILTON LANE MISSISSAUGA
L7K 4M7
PH. No. 422-7752 FAX. No. 422-0788
Email: arch@architect.ca



Scanned by CamScanner